राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7388 दिनांकः 27/8/2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका)नागौर।

विषय :— नगरीय निकाय आम चुनाव, 2026— ग्राम पंचायत के प्रशासक (Administrator) द्वारा नगरीय निकाय सदस्य (वार्ड पार्षद) पद हेतु नामांकन दाखिल करने एवं पद से त्यागपत्र/शर्तों के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 1166 दिनांक 25.08.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कतिपय बिन्दुओं के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। प्रकरण का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं न्यायिक दृष्टांतो के संदर्भ में परीक्षण किया गया।

- बिन्दु संख्या 1 के क्रम में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगरपलिका में शामिल हो जाता है तो उस ग्राम पंचायत का वर्तमान प्रशासक नगरपालिका का चुनाव लड सकता है परन्तु उसका नाम उस नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में विधिवत दर्ज हो परन्तु नगरपालिका अधिनियम की धारा 24(1)(a) के प्रावधानानुसार संवीक्षा की तारीख से पूर्व त्याग पत्र स्वीकार किया गया हो।
- बिन्दु संख्या 2 के क्रम में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत का पूर्णतः नगरपालिका में विलय होने पर ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासक का पद भी स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति का नाम यदि संबंधित नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में दर्ज है तो वो व्यक्ति चुनाव लडने योग्य है।
- बिन्दु संख्या 3 के क्रम में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि यदि कोई ग्राम पंचायत नगरपालिका में सम्मिलित नहीं की गई है व उक्त ग्राम पंचायत के प्रशासक का नाम नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली में दर्ज है तो ऐसी स्थिति में चूंकि वह व्यक्ति अभी भी लाभ का पद धारित करता है तो धारा 24(1)(a) के प्रावधानानुसार चुनाव लडने हेतु निर्हित होगा।

प्रासंगिक पत्र में इस्तीफा एवं अन्य शर्तो के संबंध में प्रावधनानुसार वांछित मार्गदर्शन निम्न प्रकार हैः—

(A) ''क्या प्रशासक का पद लाभ की श्रेणी में आता है या नहीं''

सर्वोच्च न्यायलय द्वारा विभिन्न न्यायिक सिद्धांतों एवं अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को ध्यानगत रखते हुए प्रसाशक के पद को लाभ का पद (Office of profit) की श्रेणी में माना गया है।

(B) ''क्या उसे नामांकन दाखिल करने से पूर्व अथवा संवीक्षा से पूर्व अपने प्रशासक के पद से अनिवार्य रूप से त्याग पत्र देना होगा''

उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने से पूर्व त्याग पत्र दिया जाना चाहिए एवं त्याग पत्र की स्वीकृति संवीक्षा की तारीख को या उससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए।

अतः तदानुसार आगामी निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन एवं संवीक्षा) को त्रुटिहीन ढंग से संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

27/8/2
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

F:\mast joke mara re.doc
87

क्रमांकःएफ. 4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2024 / 7389-92 दिनांक : 27/8/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)(कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग ऑफिसर मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
3. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

F:\mast joke mara re.doc

88